राजस्थान–सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–स.3(2)(04)स्था / स.अ.अधि. / अभि. / 16 / 8918-26 दिनांक 31-5-2017

–:कार्यालय आदेशः–

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने अपने पत्रांक एफ.7(25)भर्ती 'क' / APO NON TSP/2013–14 / 1966 दिनांक 06.12.2016 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (NON TSP) के 281 पदों एंव एफ.7(25)भर्ती 'क' / APO TSP/2013–14 / 1967 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (TSP) के 10 पदों पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावना इस विभाग को भिजवाई गई थी।

उक्त पत्रों की अनुपालना में विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्न नव चयनित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज विभाग में जमा कराने हेतु दिनांक 22.12.2016, 10.01.2017, 24.01.2017 सूचित किया गया। तथा दिनांक 06.02.2017 एवं 10.04.2017 के द्वारा दस्तावेज जमा कराने व व्यक्तिक्रम होने पर विभाग द्वारा पात्रता निरस्त किये जाने के संबंध में सूचित किया गया।

उक्त सूचना पत्रों के सन्दर्भ में गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्न सूची में से विजय श्री रावत (मेरिट सं.–166) एवं सपना वर्मा (मेरिट सं.–234) द्वारा लिखित में नियुक्ति प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र विभाग में प्रस्तुत किया एवं मोतीशंकर नागर (मेरिट सं.–124) द्वारा कई बार सूचना दिये जाने के उपरान्त भी दस्तावेज जमा नहीं करवाये गयेः–

गैर अनुसूचित क्षेत्र

क्र.स.	नाम अभ्यार्थी	मेरिट सं.
01	मोतीशंकर नागर	124
02	विजय श्री रावत	166
03	सपना वर्मा	234

अनुसूचित क्षेत्र के निम्न अभ्यर्थियो में श्री हितेश कुमार पुरोहित पूर्व से विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तथा कुलदीप तलाटी द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनो जगह चयनित होने के कारण गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्य करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैः–

अनुसूचित क्षेत्र

क्र.स.	नाम अभ्यार्थी	मेरिट सं.
01	हितेश कुतार पुरोहित	टीएसपी–1
02	कुलदीप तलाटी	टीएसपी–4

अतः उक्त गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र की तालिकाओं में वर्णित अभ्यार्थियों की उक्तानुसार अभियोजन विभाग में नियुक्ति की दावेदारी एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

31.5.17

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1– सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2– विशिष्ठ सहायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
5– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
6– निजी सचिव, सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
7– निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, गृह(ग्रुप–10) विभाग।
8– सम्बन्धित अभ्यर्थी।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर